

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2011—पौष 21, शक 1932

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक 238-एफ.आर.एस.-17-तेरह-2002.—मध्यप्रदेश विद्युत सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 और मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अंतरण योजना नियम, 2006 और विधि के समस्त अन्य प्रयोज्य उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 133, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 24 के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा आदेश क्रमांक 8460-एफ.आर.एस.-17-तेरह-2002, दिनांक 30-11-2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश में, खण्ड 6 के उप खण्ड 1 में शब्द "45 दिवस" के स्थान पर "60 दिवस" तथा "अनुसूची ड." के स्थान पर "अनुसूची-ड. एवं अनुसूची-च" स्थापित किये जाएं.

No. 238-F.R.S.-17-XIII-2002—In pursuance of the provisions of Section 133 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), Section 24 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhinyam, 2000 (No. 4 of 2001) read with the Madhya Pradesh Electricity Reforms First Transfer Scheme Rules, 2003 and the Madhya Pradesh Electricity Reforms Transfer Scheme Rules, 2006 and all other applicable provisions of law, the Government of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the order No. 8460-F. R. S.-17-XIII-2002 dated 30-11-2010, namely:—

AMENDMENT

In the said order, in sub-clause 1 of Clause 6, for words "Schedule E" the words "Schedules E & F" and for the words "45 days" the words "60 days" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, सचिव.